

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

मैसर्स रेजोनेन्स एज्युकेशन प्रा. लि. कोटा
बनाम

सहायक आयुक्त ए.ई. कोटा

मैसर्स ऐलन केरियर इन्सटीट्यूट, कोटा
बनाम

सहायक आयुक्त ए.ई. कोटा

मैसर्स बंसल क्लासेज प्रा. लि., कोटा
बनाम

सहायक आयुक्त ए.ई. कोटा

खण्डपीठ

श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित :

श्री डी. कुमार

अभिभाषक

श्री अनिल पोखरणा

उप राजकीय अभिभाषक।

1. अपील संख्या – 96/2014/कोटा

2. अपील संख्या – 97/2014/कोटा

.....अपीलार्थी.

.....प्रत्यर्थी

3. अपील संख्या – 99/2014/कोटा

.....अपीलार्थी.

.....प्रत्यर्थी

4. अपील संख्या – 101/2014/कोटा

.....अपीलार्थी.

.....प्रत्यर्थी

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 26.09.2017

निर्णय

1. उपर्युक्त चारों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर कैम्प, कोटा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, कोटा (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थियों को डीलर मानकर पंजीयन कराने का दायित्व निर्धारित करते हुए आदेश पारित किया गया था। जिसके विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों की अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 30.09.2013 द्वारा पुष्टि की गयी। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थियों द्वारा उक्त चारों अपील संख्या 96/2014, 97/2014, 99/2014 तथा 101/2014 प्रस्तुत की जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

अपील सं.	अपीलीय अधिकारी की अपील संख्या	अपी.आदेश दिनांक	बाध्यकारी पंजीयन आदेश
96/14	69/वैट/12-13/कोटा	30.09.13	25.06.2012
97/14	70/वैट/12-13/कोटा	30.09.13	25.06.2012
99/14	72/वैट/12-13/कोटा	30.09.13	25.06.2012
101/14	71/वैट/12-13/कोटा	30.09.13	25.06.2012

2. उक्त प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

26/09/17

26/09/17

लगातार.....2.

3. प्रकरण अपील संख्या 96/201, 97/2014, 99/2014 तथा 101/2014 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी संस्थान IIT JEE, AIEEE, PMT, CPMT प्रवेश परीक्षाओं की, प्रशिक्षणार्थियों को तैयारी (कोचिंग) करवाते हैं। प्रशिक्षणार्थियों को इन संस्थान में प्रवेश हेतु एक आवेदन पत्र (Admission Packet) कीमत देकर खरीदना होता है। इस कीमत में ब्रोशर, एप्लीकेशन फॉर्म आदि की कीमत के साथ-साथ टेस्ट फीस भी शामिल होती है इसलिये कर निर्धारण अधिकारी ने यह माना कि अपीलान्त द्वारा उक्त एडमिशन पैकेट की विक्रय की जा रही है। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिभागियों को संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवा देने पर प्रवेश दे दिया जाता है। संस्थान में प्रवेश के पश्चात प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को एक एडमिशन किट दिया जाता है। संस्थान द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को यूनिफॉर्म, टी-शर्ट, प्रिन्टेड स्टेडी मेटेरियल, प्रश्न पत्र, डी.पी.पी. शीट, स्कूल बैग आदि उपलब्ध करवाई जाती है। इनकी कीमत संस्थान द्वारा पृथक से वसूल नहीं की जाती लेकिन सशक्त अधिकारी का यह मानना है कि संस्थान द्वारा वसूल की गई फीस में उक्त सप्लाय की गई सभी वस्तुओं की कीमत शामिल होती है यह विक्रय की परिभाषा में आता है। इसलिये सशक्त अधिकारी ने अपीलान्त को डीलर की श्रेणी में माना और उसके द्वारा किये जा रहे उक्त कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में माना गया एवं उक्त संस्थाओं के लिये बाध्यकारी पंजीयन दायित्व अभिनिर्धारित किया गया। जिसके विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील को दिनांक 30.09.2013 को अस्वीकार कर दिया गया। उक्त आदेशों के विरुद्ध यह चारों अपीलें पेश की गयी है।
4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
5. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह कथन रहा है कि व्यापार (Business) के सामान्य अनुक्रम में डीलर द्वारा किसी कर योग्य वस्तु/माल (Goods) का विक्रय करने पर ही कर का दायित्व उत्पन्न होता है। अधिनियम की धारा 2(11) में डीलर को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार जो व्यक्ति व्यापार का संचालन करता है वह डीलर है तथा व्यापार (Business) को धारा 2(6) में परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार क्रय-विक्रय का कार्य व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण की प्रकृति का होना चाहिये। उक्त गतिविधि का संचालन करने वाला व्यक्ति ही डीलर की श्रेणी में आता है। जबकि अपीलार्थी संस्थानों द्वारा जो वस्तुएँ प्रशिक्षणार्थियों को दी जाती है वे कोचिंग हेतु एवं संस्थान के प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिये अनिवार्य है।
6. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का आगे यह कथन रहा है कि अपीलार्थी संस्थानों द्वारा IIT JEE, AIEEE, PMT, CPMT प्रवेश परीक्षाओं की, प्रशिक्षणार्थियों को तैयारी (कोचिंग) करवायी जाती है। संस्थानों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों का शिक्षा प्रदान

करना है संस्थान द्वारा विद्यार्थियों को Syllabus, Test Paper, अध्ययन सामाग्री OMR Sheets, DPP आदि सामग्री दिया जाना शिक्षा प्रदान करने के कार्य की आनुषांगिक व सहायक क्रियाएं हैं। जब संस्थान का मुख्य कार्य शिक्षा प्रदान करना है तब इस कार्य से संबंधित आनुषांगिक अथवा सहायक क्रिया को व्यापार की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। अपीलार्थी संस्थाओं द्वारा कथाकथित कर योग्य वस्तुओं का अलग से मूल्य लेकर हस्तान्तरण नहीं किया जा रहा है तथा कोचिंग के दौरान जो स्टडी मटेरियल विद्यार्थियों को दिया जाता है उसकी कोई कीमत अपीलान्त द्वारा विद्यार्थियों से नहीं ली जाती है उसके लिये ब्राशर में किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है किसी प्रकार की कोई बाध्यता, संख्या, गुणवत्ता फ्रीक्वेन्सी आदि नहीं दी जाती है। विक्रय के लिये एग्रीमेन्ट होना आवश्यक है संस्थान व विद्यार्थियों के मध्य स्टडी मटेरियल की खरीद-बिक्री का किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेन्ट नहीं होता है। संस्थाओं द्वारा उक्त वस्तुओं के विक्रय हेतु न तो प्रस्ताव दिया जा रहा है एवं न ही विद्यार्थियों द्वारा उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया जा रहा है। जबकि संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों द्वारा अदा की जा रही सम्पूर्ण फीस पर सेवा कर (Service Tax) अदा किया जा रहा है। जब संस्थाओं का मुख्य कार्य सेवा है तब राजस्व द्वारा ऐसे संव्यवहार को दो भागों में विभक्त नहीं किया जा सका। इस प्रकार संस्थान द्वारा शिक्षा प्रदान करना व्यापार वाणिज्य या विनिर्माण की क्रिया नहीं है इसलिये संस्थान अधिनियम की धारा 2(11) के तहत डीलर की परिभाषा में नहीं आता है। सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी संस्थानों/कम्पनी के कार्य को व्यापार मानना तथा जो सामान विद्यार्थियों को दिया जाता है उसे विक्रय किया जाना मानना और संस्थाओं को पंजीयन दायित्व देने का पारित आदेश एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा उसकी पुष्टि किया जाना न्यायोचित एवं विधिसंगत नहीं है।

7. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये:-

1. University of Delhi Vs. Ram Nath AIR 1963 Supreme Court 1873
2. Indian Institute of Technology Vs. State of Uttar Pradesh (1976) 38 STC 428 (All.) Supreme Court
3. Deputy Commissioner (C.T.) Vs. South India Textile Research Association (1978) 41 STC 197 (Mad.)
4. Gowtham Residential Junior College Vs. Commercial Taxes Officer, Benz Circle, Vijaywada (2009) 19 VST 305 (Andh. Pradesh)
5. Madhymic Siksha Board Rajasthan, Ajmer Vs. Assistant Commercial Taxes officer, Ward 3B, Ajmer 1986 RTC 482 (Raj. S.T. Tribunal).
6. Scholors Home Senior Secondary School Vs. State of Uttarakhand and another (2011) 42 VST 530 (Uttarakhand High Court)
7. Indian Institute of Technology Vs. State of Uttar Pradesh (1976) 38 STC 428 (All.)
8. Commissioner of Sales Tax Vs. Sai Publication Fund (2002) 126 STC 288 (Supreme Court)
9. State of Tamil Nadu and Another Vs. Board of Trustees of Port of Madras (1999) 114 STC 520 (Supreme Court)

Am. M. 1
26/09/17

26

लगातार.....4.

10. Scholars Home Senior Secondary School Vs. State of Uttarakhand and another (2011) 42 VST 530 (Uttarakhand High Court)
11. Himachal Pradesh & Other Vs. Associated Hotels of India Ltd. (1972) 29 STC 474 (Supreme Court)
12. Bharat Sanchar Nigam Ltd. Vs. Union of India (2006) 145 STC 91 (Supreme Court)
13. Associated Cement Companies Ltd. Vs. Government of Andhra Pradesh and another cited at 144 STC 342 (Supreme Court)
14. Commercial Taxes officer Vs. Ram Babu oil mills Pvt. Ltd (143 STC 704) (Rajasthan High Court)

अपीलार्थी संस्थान के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का उल्लेख करते हुए सशक्त अधिकारी के आदेश दिनांक 25.06.2012 व अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.09.2013 को अपास्त कर उक्त अपीलों को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

8. प्रत्यर्थी राजस्व के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी संस्थाओं द्वारा दी जा रही कोचिंग शैक्षणिक गतिविधि नहीं है। अपीलार्थी संस्थान द्वारा किया जा रहा कार्य व्यापार की श्रेणी में आता है। अतः अपीलार्थी संस्थानों का डीलर के रूप में पंजीकृत होने का दायित्व है। राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा सशक्त अधिकारी के आदेश एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए बहस में इन्हीं तथ्यों को दोहराते हुए अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि किये जाने का निवेदन किया गया।
9. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया।
10. विचाराधीन प्रकरण में अपीलार्थी संस्थान/कम्पनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं यथा IIT JEE, AIEEE, PMT आदि प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाती है। कंपनी के संस्थान में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन हेतु आवेदन पत्र (Admission Packet) कीमत देकर खरीदना होता है जिसमें ब्रोशर, आवेदन फॉर्म आदि होते हैं। कोचिंग संस्थान में प्रशिक्षणार्थियों को निर्धारित शुल्क लेकर प्रवेश दिया जाता है तथा प्रवेश के पश्चात अभ्यर्थियों को एक एडमिशन किट दी जाती है जिसमें यूनिफॉर्म, टी-शर्ट, प्रिन्टिड स्टडी मैटेरियल, प्रश्न पत्र, डीपीपी शीट, स्कूल बैग आदि होते हैं। इस किट की कीमत अलग से वसूल नहीं की जाती है। सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी संस्थाओं को डीलर की श्रेणी में मानकर उनके द्वारा विभाग से स्वयं पंजीयन दायित्व प्राप्त नहीं किये जाने से बाध्यकारी पंजीयन दायित्व जारी किये जाने का दिनांक 25.06.2012 को आदेश पारित किये गये। जिनके विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30.09.2013 को अस्वीकार कर सशक्त अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गयी।

Amrinder
26/09/17

10

लगातार.....5.

11. अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में यह आधार लिया गया है कि अपीलार्थी संस्थान का कार्य शिक्षा प्रदान करना है तथा यह कार्य व्यवसाय की श्रेणी में नहीं है। अतः सर्वप्रथम इस बिन्दु पर विचार किया जा रहा है कि क्या अपीलार्थी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा रही कोचिंग शैक्षणिक गतिविधि है? यह बिन्दु निर्विवादित है कि संस्था द्वारा कोचिंग प्रदान की जाती है। कोचिंग व औपचारिक शिक्षा संस्थानों में विभेद किया जाना सामयिक है। औपचारिक शिक्षा संस्थान यथा स्कूल, कॉलेज, टेक्निकल या मेडिकल कॉलेज आदि किसी अधिनियम द्वारा स्थापित बोर्ड या विश्वविद्यालय से सहसम्बन्धित (Affiliated) होते हैं जहां निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर Academic Qualification की डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है जो अभ्यर्थी की सम्बन्धित योग्यता को प्रमाणित करने का आधार होता है। इसके विपरीत कोचिंग संस्थान किसी अधिनियम द्वारा स्थापित बोर्ड या विश्वविद्यालय से Affiliated नहीं होते तथा ये मात्र प्रशिक्षार्थियों को प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु मार्ग दर्शन व प्रशिक्षण प्रदान करते हैं जिससे इन्हें शिक्षण संस्थाओं की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा इण्डियन इन्सीट्यूट ऑफ टैक्नोलोजी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, डिप्टी कमीशनर बनाम साउथ इण्डिया टैक्सटाईल रिसर्च एसोसियेशन, गोथम रेजिडेन्शियल जूनियर कॉलेज बनाम सीटीओ व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान बनाम एसीटीओ अजमेर के न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में लागू नहीं होते क्योंकि ये सभी प्रकरण औपचारिक शिक्षा से सम्बन्धित संस्थाओं के सम्बन्ध में हैं जबकि वर्तमान प्रकरणों में जैसा कि ऊपर विवेचना की जा चुकी है कि उक्त संस्थान औपचारिक शिक्षा का भाग नहीं है तथा कोचिंग प्रदान करते हैं जो व्यवसाय की श्रेणी में है।
12. अपीलार्थी संस्थान द्वारा किया गया संव्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत बिक्री (Sale) एवं व्यापार (Business) की श्रेणी में माना जाना चाहिए या नहीं। अधिनियम की धारा 2(35) के अन्तर्गत यदि किसी समान का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरण किसी नगद भुगतान या Valuable Consideration के बदले किया जाता है तो वह विक्रय है। Admission Packet में उपलब्ध सामग्री कीमतन क्रय की गयी है जो स्वतः विक्रय की श्रेणी में है। Admission Kit में उपलब्ध सामग्री की हांलाकि प्रत्यक्ष कीमत वसूल नहीं की गयी है परन्तु संस्थान द्वारा प्रशिक्षार्थियों से कोचिंग हेतु जो फीस वसूल की जाती है वह काफी अधिक होती है तथा Admission Kit में उपलब्ध करायी गयी सामग्री काफी मूल्यवान होती है जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सामग्री मुफ्त उपलब्ध नहीं करायी जाती बल्कि इसकी कीमत कोचिंग शुल्क में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होती है। ऐसी स्थिति में Admission Kit की सामग्री भी Valuable Consideration के रूप में हस्तान्तरित मानी जायेगी। इस प्रकार अपीलार्थी संस्थाओं का

Amrinder
26/04/17

11/5

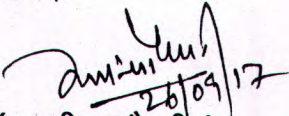
Prospectus एक प्रकार से proposal for contract of sale है तथा प्रवेशार्थी द्वारा एडमिशन फॉर्म भरकर देकर एवं फीस जमा कराने पर Contract of Sale हो जाता है। विद्यार्थी एवं संस्था के मध्य के उक्त संव्यवहार में बिक्री के समस्त तत्व विध्यमान है। अतः अपीलार्थी द्वारा किया गया संव्यवहार विक्रय की श्रेणी में है।

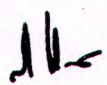
13. अपीलार्थी द्वारा किया गया संव्यवहार विक्रय की श्रेणी में होने के कारण अधिनियम की धारा 2(6) के अनुसार व्यापार (Business) है। हांलाकि अपीलार्थी का मुख्य व्यवसाय कोचिंग है परन्तु अधिनियम की धारा 2(6)(iii) के अनुसार यदि मुख्य व्यवसाय के साथ Incidental या Ancillary संव्यवहार है तो भी वह व्यवसाय की श्रेणी में माना जायेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ गुजरात बनाम रायपुर मेन्युफैक्चरिंग कम्पनी के निर्णय में अवधारित किया है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष वस्तु का व्यवसाय करता है या नहीं यह उस वस्तु के क्रय विक्रय की मात्रा (volume), आवृत्ति (frequency) व निरन्तरता (continuity or regularity) पर निर्भर करता है। विचाराधीन प्रकरण में Admission Kit की राशि करोड़ों में है तथा Admission Packet की सामग्री की कीमत भी करोड़ों रूपयों में है तब ऐसा संव्यवहार चाहे सहायक या अनुषांगिक हो, व्यवसाय की श्रेणी में ही माना जायेगा। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि उनका मुख्य कार्य सेवा है जिससे वस्तु मद में कोई वेट आरोपित नहीं किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Associated Cement Companies Ltd. Vs Commissior of Customs (2001) 124 STC 59 Bharat Sanchar Nigam Ltd. Vs Union of India (2006) 145 STC 91** के न्यायिक दृष्टांत महत्त्वपूर्ण है जिनमे यह ठहराया गया है कि यदि किसी संव्यवहार में सेवा एवं वस्तु मद (Goods and Service) दोनों सम्मिलित है तो वस्तु वाले भाग पर वेट भी होगा चाहे सम्पूर्ण संव्यवहार में सेवा मद अधिक प्रभावशाली हो। इस प्रकार संव्यवहार व्यावसायिक होने के कारण अपीलार्थी संस्थान अधिनियम की धारा 2(11) के अनुसार डीलर माना जायेगा। जिससे उक्त संस्थानों द्वारा किये गये संव्यवहार पर अधिनियम की धारा 3 के अनुसार कर देय है।

14. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत स्टेट ऑफ तमिलनाडू बनाम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ द पोर्ट ऑफ मद्रास में यह ठहराया गया कि यदि मुख्य व्यवसाय के अनुसांगिक या सहायक क्रय विक्रय हो तो वह व्यापार (Business) की श्रेणी में नहीं माना जाना चाहिए। इस न्यायिक दृष्टांत के तथ्यों में मद्रास पोर्ट ट्रस्ट का कि मुख्य कार्य शिपिंग व सामान को शिफ्ट ट्रांसपोर्ट आदि बाबत था, इसके द्वारा इस प्रक्रिया में Unserviceable या Unclaimed सामान का विक्रय किया गया था जो तमिलनाडू जनरल सेल्स टेक्स एक्ट 1959 के अन्तर्गत कर योग्य नहीं माना था। विचाराधीन अपील राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम से सम्बन्धित है जिसकी धारा 2(6)(iii) के

अनुसार यदि मुख्य व्यवसाय के साथ Incidental या Ancillary संव्यवहार है तो भी वह व्यवसाय की श्रेणी में माना जायेगा। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Associated Cement Companies Ltd. Vs Commissior of Customs (2001) 124 STC 59 Bharat Sanchar Nigam Ltd. Vs Union of India (2006) 145 STC 91 के न्यायिक दृष्टांत महत्त्वपूर्ण है जिनमे यह ठहराया गया है कि यदि किसी संव्यवहार में सेवा एवं वस्तु मद (Goods and Service) दोनों सम्मिलित है तो वस्तु वाले भाग पर वेट भी होगा चाहे सम्पूर्ण संव्यवहार में सेवा मद अधिक प्रभावशाली हो।

15. इस प्रकार अपीलार्थी संस्थाओं/कम्पनी द्वारा ब्रोशर, प्रोसपेक्टस, एडमिशन पैकेट आदि की बिक्री के बदले सीधे राशि प्राप्त की जाती है तथा अन्य कर योग्य वस्तु के बदले प्राप्त राशि प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को फीस में शामिल होती है। अतः पूर्व में किये गये समस्त विवेचनानुसार से यह स्पष्ट है कि कर योग्य वस्तु की बिक्री अपीलार्थी संस्थानों/कम्पनी द्वारा प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से की जाती है एवं इसके बदले उनके द्वारा भुगतान प्राप्त किया जाता है। अपीलार्थी संस्थानों द्वारा कोचिंग हेतु फीस लेकर उसमें प्रशिक्षण के साथ जो सामग्री/वस्तु प्रदान की जा रही है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी संस्थानों की यह गतिविधि अधिनियम की धारा 2(35) के अन्तर्गत विक्रय की परिभाषा में आती है। अपीलार्थी संस्थानों द्वारा अधिनियम की धारा 2(6) के अधीन व्यापार किया जा रहा है तथा अधिनियम की धारा 2(35) के अधीन वस्तुओं का विक्रय किया जा रहा है। इस लिये अपीलार्थी संस्थान अधिनियम की धारा 2(11) के अधीन डीलर की परिभाषा में आता है। इसलिये डीलर के रूप में पंजीकृत होने के दायित्व के अधीन है। सशक्त अधिकारी के आदेश दिनांक 25.06.2012 एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.09.2013 विधिसम्मत है तथा इनमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार विद्यमान नहीं है। अतः अपीलार्थी संस्थानों द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार किये जाने योग्य है।
16. परिणामस्वरूप अपीलार्थी संस्थानों/कम्पनी द्वारा प्रस्तुत चारों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं तथा सशक्त अधिकारी के आदेश दिनांक 25.06.2012 व अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.09.2013 की पुष्टि की जाती है।
17. निर्णय सुनाया गया। निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जाये।


(राजीव चौधरी)
सदस्य


(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष